(लोक ले० सं० प्रकाशन संख्या 297)

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 289

परिवहन विभाग से संबधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 से 1982-83 (रा०प्रा०) की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

दिनांक..को सदन में उपस्थापित)

विषय सूची

		पृष्ठ
लोक लेखा समिति वर्ष (1993-94) का गठन		क-ख
आमुख		ग
प्रतिवेदन :—		1
क्रमांक	1—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.2 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.2 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.2	2-3
क्रमांक	2—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.3 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.3 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) का कंडिका 1.3	3—6
क्रमांक	3—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.4 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.4 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) को कंडिका 1.4	6—8
क्रमांक	4—अंकेक्षण प्रतिवेदन (1980-81) रा० प्रा०) की कंडिका 1.5	8-9
क्रमांक	5—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.6 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.6	9-10
क्रमांक	6—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.9 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.9 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.9	11-12
क्रमांक	7—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.10	13
क्रमांक	8—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.1	14—16
क्रमांक	9—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.2	16—18
क्रमांक	10—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.3 (क) (ख)	18—20

	पृष्ठ
क्रमांक 11—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.4	21
क्रमांक 12—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.1	22-23
क्रमांक 13—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.2	23-24
क्रमांक 14—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.3	24—26
क्रमांक 15—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.4	26—28
क्रमांक 16—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.5	28—30
क्रमांक 17—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.6	30—32
क्रमांक 18—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.1	33-34
क्रमांक 19—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.2	34—37
क्रमांक 20—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) को कंडिका 4.3	38—42
क्रमांक 21—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) को कंडिका 4.4	42—44
क्रमांक 22—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.5	44—47
क्रमांक 23—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०, की कंडिका 4.6	47-48
क्रमांक 24—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा० की कंडिका 4.7	48-49

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति (1993-94) का गठन

सभापति

(1) श्री जगदीश शर्मा, स० वि० स०

सदस्यगण

(2) श्री योगेश्वर गोप, स० वि० स०

(3) श्री स्वामी नाथ तिवारी, स० वि० स०

(4) श्री नरेश दास, स० वि० स०

(5) श्री रामजीवन प्रसाद, स० वि० स०

(6) श्री मोहम्मद सिद्धिक, स० वि० स०

(7) श्री उदय नारायण चौधरी, स० वि० वि०

(8) श्री मुनेश्वर चौधरी, स० वि० स०

(9) श्री चुन्नी लाल राजबंशी, स० वि० स०

(10) श्री मुनेश्वर प्रसाद सिंह, स० वि० स०

(11) श्री शकील अहमद, स० वि० स०

(12) श्री बिजय शंकर दूबे, स० वि० स०

(13) श्री रघुबंश प्रसाद सिंह, स० वि० स०

(14) श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, स० वि० स०

(15) श्री अवध बिहारी चौधरी, स० वि० स०

(16) श्री विनायक प्रसाद यादव, स० वि० स०

(17) श्री विजय शंकर पाण्डेय, स० वि० स०

(18) श्रीमती इन्दु देवी, स० वि० स०

(19) श्री शिवनन्दन प्रसाद सिंह, स० वि० स०

(20) श्री विजय शंकर मिश्र, स० वि० स०

(21) श्री राजेश्वर लालू, स० वि० स०

(22) श्री रामदेनी राम, स० वि० स०

विशेष आमंत्रित

श्रीमती ज्योति, स० वि० स०

महालेखाकार कार्यालय

(1) श्री डी० एन० प्रसाद, महालेखाकार, बिहार, पटना।

(2) श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद, महालेखाकार, बिहार, राँची।

(3) श्री बी० एन० झा, लेखा परीक्षा अधिकारी, राँची।

वित्त विभाग

(1) श्री फूलचन्द्र सिंह, वित्त सचिव

(2) श्री एस० एन० माथुर, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

(1) श्री युगल किशोर प्रसाद, सचिव

(2) श्री लियो वाल्टर कुजूर, संयुक्त सचिव

(3) श्री मदन नारायण मिश्र, उप-सचिव

(4) श्री इन्दिरा रमण उपाध्याय, अवर-सचिव

(5) श्री बच्चु सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी

(6) श्री राधाकृष्ण रजक, प्रशाखा पदाधिकारी

(7) श्री फूल झा, प्रशाखा पदाधिकारी

(8) श्री मौलेश्वरी प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी

(9) श्री नन्दकिशोर प्रसाद सिंह, प्रवर कोटि सहायक

(10) श्री उदय कुमार सिंह, प्रवर कोटि सहायक

(11) श्री तेज नारायण पाण्डेय, सहायक

(12) श्री संजय कुमार, सहायक

(13) श्री बिनोद कुमार सिंह, सहायक

(14) श्री रंजन प्रभात, सहायक

आमुख

मैं सभापति, लोक लेखा समिति, परिवहन विभाग से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 से 1982-83 (राजस्व प्राप्तियां) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। यह प्रतिवेदन दिनांक 20 जुलाई, 1993 को समिति द्वारा पारित किया गया।

श्री डी० एन० प्रसाद महालेखाकार, पटना (लेखा परीक्षा-I), श्री लक्ष्मीनारायण प्रसाद महालेखाकार, (लेखा परीक्षा-II), श्री बी० एन० झा, लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री फूलचन्द्र सिंह, वित्त सचिव, श्री एस० एन० माथुर, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ने समिति को जो सहयोग दिया है, इसके लिए समिति उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है।

विधान-सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिवेदन तैयार करने में समिति को सहयोग प्रदान किया है, समिति इसके लिए इनको धन्यवाद देती है।

पटना :

दिनांक 20 जुलाई, 1993।

जगदीश शर्मा
सभापति,
लोक लेखा समिति।

परिवहन विभाग से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 से 1982-83 (रा०प्रा०) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

क्रमांक-1—अं० प्र० 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका—1.2।

अं० प्र० 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका—1.2।

अं० प्र० 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका—1.2।

राज्य द्वारा वसूला गया कर राजस्व—वर्ष 1980 81, 1981-82 एवं 1982-83 में यानों पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियां निम्न प्रकार थी—

1980-81	1981-82	1982-83
	(राशि करोड़ रुपयों में)	
11.97	13.05	26.30

वर्ष 1982-83 में 1981-82 के मुकाबले 13.25 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण।

(क) 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.2 (ख):—

यह कंडिका राज्य द्वारा वसूला गया कर राजस्व के अन्तर्गत यानों पर कर से सम्बन्धित है। इस मद में 1979-80 की तुलना में वर्ष 1980-8 में 4.66 करोड़ रु० का ह्रास हुआ। इनका एकमात्र कारण है कि मोटर गाड़ी कर की भुगतान प्राप्ति हेतु विभिन्न जिले के भारतीय स्टेट बैंको को प्राधिकृत किया गया है। सम्बन्धित जिले के बैंक से प्रतिवेदन पाने में विलम्ब हुआ जिस कारण 31 मार्च तक सचिवालय शाखा के भारतीय स्टेट बैंक में उपलब्ध आंकड़े की ही गणना वित्तीय वर्ष 1980-81 में की जा सकी। अन्य आंकड़े अप्रील अथवा इसके बाद आने वाले आंकड़ों का गणना अगले वर्ष अर्थात् 1981-82 में की गई। इस प्रकार राजस्व वसूली की कमी दिखाई गई।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ख) 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका संख्या—1.2 (ख):—

उपर्युक्त कंडिका यानों पर कर से सम्बन्धित है। इस मद में वर्ष 1981-82 में 13.5 करोड़ रुपए की वसूली की गई जो वर्ष 1980-81 की तुलना में 1.08 करोड़ रु० अधिक है।

राजस्व वसूली में वृद्धि लाने हेतु विभाग द्वारा हमेशा प्रयास जारी है। सम्बन्धित पदाधिकारियों को इसमें वृद्धि लाने हेतु समय-समय पर दिशा निदेश दिए जाते रहते हैं तथा विभागीय बैठक में भी इस विषय पर ठोस निदेश दिये जाते हैं। विभाग द्वारा राजस्व वसूली में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाती है तथा हमेशा लक्ष्य प्राप्ति हेतु समुचित प्रक्रिया अपनायी जाती है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने क अनुशंसा की जाती है।

(ग) 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.2 (ख) (vi)

उपयुक्त कंडिका राज्य द्वारा वसूला गया राजस्व के अंतर्गत यानों पर कर से संबंधित है। इस मद में वर्ष 1982-83 में वर्ष 1981-82 की तुलना में 13.25 करोड़ रुपये की अधिक वसूली की गई है। इसे संतोषप्रद माना जा सकता है। विभाग की ओर से कर वसूली में मुस्तैदी लाई गई है यही कारण है कि राजस्व वसूली में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक-2

अं० प्र० 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका-1.3

अं० प्र० 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका-1.3

अं० प्र० 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका-1.3

बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों में घट-बढ़ :—वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक प्राप्तियां के बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों में जो घट-बढ़ हुए, नीचे दिखाये जा रहे हैं :—

राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर वृद्धि (+) ह्रास (—)	अन्तर की प्रतिशत्ता
1	2	3	4	5	6
		(राशि करोड़ रुपये में)			
यानों पर कर	1980-81	10.85	11.97	(+) 1.12	10.32
	1981-82	11.76	13.05	(+) 8.29	10.97
	1982-83	31.03	26.30	(—) 4.73	15.24

उपर्युक्त विवरणी से पता चलता है कि वर्ष 1982-83 में बजट अनुमान के मुकाबले में प्राप्तियां 15.24 प्रतिशत कम हुई है।

विभागीय स्पष्टीकरण

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.3 (6) का अनुपालन प्रतिवेदन :

उपर्युक्त कंडिका बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ों में अंतर के "अन्तर्गत" यानों पर कर से संबंधित है। इस मद के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में कर वसूली में 4.94 करोड़ की कमी दिखाई गयी है जबकि वर्ष 1979-80 में 6.87 करोड़ की वृद्धि दिखाई गई है।

इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के विभिन्न जिलों में भारतीय स्टेट बैंक को पे-इन-स्लीप के माध्यम से जमा किये गये मोटर गाड़ी कर को स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत किया गया है जिसका हिसाब सचिवालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक में भेजा जाता है जिसके आधार पर कुल राजस्व वसूली का समेकित आकड़ा तैयार किया जाता है। यह हिसाब वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दिन तक निश्चित रूप से सचिवालय शाखा स्थित स्टेट बैंक में पहुंच जाना चाहिये परन्तु बहुत से बैंकों से समय पर प्रतिवेदन नहीं पहुंच पाते हैं तथा सचिवालय शाखा स्थित भारतीय स्टेट बैंक में उपलब्ध आंकड़े के आधार पर राजस्व वसूली संबधी प्रतिवेदन सरकार को भेज दिया जाता है। बाद में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उस राशि को दूसरे वित्तीय वर्ष के आंकड़ों में सम्मिलित कर लिया

जाता है। यही कारण है कि वर्ष 1978-79 में 4.94 करोड़ रुपये कम दिखाया गया है जबकि वर्ष 1979-80 में 6.87 करोड़ रुपये अधिक दिखाया गया है।

वस्तु स्थिति वह है कि विभाग द्वारा राजस्व वसूली में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके लिए विभाग हमेशा प्रयत्नशील है तथा इस सम्बन्ध में संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक मार्ग दर्शन दिये जाते रहते हैं।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ख) भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.3 (6) का अनुपालन प्रतिवेदन :

उपर्युक्त कंडिका यानों पर कर से संबंधित है। इस मद में वर्ष 1981-82 में 13.05 करोड़ रुपये की वसूली की गई जो वर्ष 1980-81 की तुलना में 1.29 करोड़ अधिक है। इस प्रकार 10.97 प्रतिशत की वृद्धि, विभाग द्वारा की गई। राजस्व की वसूली में वृद्धि लाने हेतु समय-समय पर संबंधित अधिकारियों को समुचित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं जिससे राजस्व वसूली में वृद्धि लाई जा सके।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन वर्ष 19्2-83 (रा० प्रा0) की कंडिका सं० 1.3 (ख) (7) (8) का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका बजट अनुमानों और वास्तविक आंकडों में अंतर से संबंधित है। इसके अन्तर्गत मद सं० 7 में यानों पर कर में वर्ष 1982-83 में 4.73 करोड़ रुपये का ह्रास दिखाया गया है। इसका कारण है कि मोटरयान कर का भुगतान स्वीकार करने हेतु राज्य में विभिन्न जिलों के भारतीय स्टेट बैंकों को प्राधिकृत किया गया है है जिसका आंकड़ा सचिवालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक में भेजा जाता है। वहां से प्राप्त आंकड़े के अनुसार सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाता है। परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बहुत से बैंकों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पाते हैं जिस कारण सही आंकड़ा नहीं भेजा जा सकता है तथा बाद में आंकड़े प्राप्त होने पर अगले वित्तीय वर्ष में उसकी गणना की जाती है।

मद सं० 8 में दर्शाये गये आंकड़े से स्पष्ट होगा कि 1981-82 की तुलना में वर्ष 1982-83 में 220.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस प्रकार विभाग द्वारा राजस्व वसूली हेतु बराबर तत्परता बरती जाती है तथा प्रतिवर्ष राजस्व की वसूली में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण संतोषप्रद है। इसीलिए समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ना नहीं चाहती है।

क्रमांक—3 अं० प्र० 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका—1.4

अं० प्र० 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका—1.4

अं० प्र० 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका—1.4

संग्रहण की लागत—वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक तीन वर्षों के दौरान यानों पर "कर" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रहण की लागत निम्न प्रकार थी :—

लेखा शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशतता
1	2	3	4	5
		(राशि करोड़ रुपये में)		
परिवहन पर कर	1980-81	11.97	0.58	4.85
..	1981-82	13.05	0.68	5.21
...	1982-83	26.30	0.79	3 00

विभागीय स्पष्टीकरण।

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) का कंडिका 1.4 (5) का अनुपालन प्रतिवेदन :—

उपर्युक्त कंडिका कर संग्रहण की लागत से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यानों का निबंधित लदान वजन $112\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा 125 प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए। इस कंडिका के अनुपालन हेतु सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों का विशेष विभागीय बैठक में वृहद निदेश दिए गए तथा इस सम्बन्ध में पत्र द्वारा भी निदेश दिए गए हे। उक्त कंडिका का अक्षरशः पालन सभी जिलों में कर दिया गया है तथा पुनराक्षित लदान वजन के आधार पर ही कर की वसूली की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.4 (5) का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका मोटर यान कर में वृद्धि से सम्बन्धित है। इस मद में दिनांक 1 जनवरी, 1982 तक पिछले वर्ष की तुलना में 0.69 करोड़ रुपये अधिक राजस्व की वसूली की गई। राजस्व में वृद्धि लाने हेतु समय-समय पर संबंधित पदाधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि राजस्व में वृद्धि लाई जा सके। विभाग द्वारा राजस्व की वृद्धि हेतु हमेशा प्रयास किया जाता है तथा इसमें सफलता भी मिलती रही है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.4 का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका में कर संग्रहण की लागत व्यय वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में क्रमशः 4.85,5.21 तथा 3.00 प्रतिशत दिखाया गया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि कर वसूली सुनिश्चित करने हेतु कर वंचक वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं तथा इसमें जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक की सहमति से जिला बल से आरक्षी दल की प्रतिनियुक्ति की जाती है। जिसके लिए अलग से वाहन की व्यवस्था करनी पड़ती है। उक्त वाहन चेकिंग एवं वाहनों में ईंधन इत्यादि का खर्च में कमी बेशी होने के कारण यह अंतर है। जो भी हो, कर संग्रहण तथा

स्थापना इत्यादि व्यय में इस विभाग में बहुत ही कम व्यय किया जाता है। सरकार की नीति के अनुसार मितव्ययिता का पालन इस विभाग में कड़ाई के साथ किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि भविष्य में कर संग्रहण व्यय में विभाग अधिक-से-अधिक मितव्ययिता बरते।

इसी अनुशंसा के साथ समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक—4 अं० प्र० वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.5

कराधान के उपाय कराधान के अपनाए गए उपाय तथा प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व निम्नवत है—

उपाय	लागू किये जाने की तिथि	1980-81 में प्रत्याशित राजस्व (करोड़ रु० में)
सड़क उपकर की दर में 20 से 25% की वृद्धि	1-4-1980	0.45

उपर्युक्त उपाय से वर्ष के दौरान क्या वास्तविक प्राप्ति हुई इसकी सूचना जुलाई 1981 में मांगी गई थी जिसे सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था (मई 1982)।

विभागीय स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) का कंडिका 1.5 का अनुपालन प्रतिवेदन :

उपर्युक्त कंडिका सड़क उपकर की दर में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित है। इस संबंध में जहां तक वास्तविक प्राप्ति का प्रश्न है, वर्ष 1980-81 में 0.45 करोड़ रुपये दिखाया गया है। यह वृद्धि सड़क उपकर में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप हुई है। इस प्रकार कुल राजस्व वसूली में इस प्रावधान के लागू किये जाने से यह वृद्धि संभव हो सकी। राजस्व वसूली में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा हर संभव

उपाय किये जा रहे हैं तथा इसमें विभाग को अप्रत्याशित सफलता भी इधर मिली है। यह प्रयास अभी भी जारी है तथा भविष्य में भी जारी रहेगा।

अत: अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है। अत: समिति अनुशंसा करती है कि:—

1. समय सीमा के अंदर लेखा-जोखा का पूर्ण सूचना नहीं देने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेवारी सुनिश्चित कर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

2. भविष्य में समय-सीमा के अंदर विभागीय आंकड़ों की सूचना उपलब्ध कराई जाय।

3. वर्ष 1980-81 में सड़क उपकर की दर में वृद्धि से प्रत्याशित राजस्व के विरुद्ध वास्तविक रूप से कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई, की सूचना छः माह के अंदर समिति को उपलब्ध कराई जाय।

———

क्रमांक—5 अ० प्र० वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका संख्या-1.6
अ० प्र० वर्ष 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका संख्या-1.6

कर निर्धारण में बकाया—विभाग द्वारा सूचित यात्री और माल कर के संबंध में 31 मार्च, 1992 के अंत में अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित, पूरा करने के लिए बाकी कर निर्धारण काम की कुल संख्या तथा वास्तव में 1981-82 में पूरा किए गए कर निर्धारण की संख्या (दिसम्बर 1982) नीचे दी गई है :—

राजस्व शीर्ष		वर्ष पूरा होने के लिए बाकी कर निर्धारणों का संख्या	वर्ष के दौरान वास्तव में पूरे किए गए मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित कर निर्धारणों की संख्या	स्तम्भ (3) स्तम्भ (5) की प्रतिशतता
यात्री और	1979-80	1,13,199	36,304	76,895	67.9
माल पर कर	1980-81	1,11,815	23,301	88,514	79.2
	1981-82	1,24,279	14,119	1,10,160	88.6

1981-82 के अंत तक कर निर्धारणों के अनिर्णीत मामलों की संख्या में वृद्धि हुई थी। कर निर्धारणों के पूरे होने में कमी तथा उसकी भारी संख्या में अनिर्णीत रहने के कारणों की प्रतीक्षा है। (जनवरी 1983)

विभागीय स्पष्टीकरण

(क) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.6 का अनुपालन प्रतिवेदन :

उपर्युक्त कंडिका कर निर्धारण में बकाया के अन्तर्गत यात्री और माल पर कर से संबंधित है। इस मद में विभाग द्वारा वर्ष 1979-80 में 76,895 मामले तथा वर्ष 1980-81 में 88,514 मामले दिखाये गये हैं। वर्ष 1979-80 में 67.9 प्रतिशत तथा वर्ष 1980-81 में 79.2 प्रतिशत मामले लंबित थे जिनके निष्पादन हेतु सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दे दिये गये हैं तथा इनका निष्पादन भी किया जा चुका है। अब इस आपत्ति का कोई सार्थकता नहीं रह गई है।

अतः अनुरोध है कि इसे समाप्त करने की कृपा किया जाय।

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.6 का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका यात्री और माल पर कर से संबंधित है इस मद में वर्ष 1981-82 में 88.6 प्रतिशत का अधिक राजस्व मामलों को पूरा किया गया, जिससे अधिक राजस्व की वसूली हुई। इस प्रकार लम्बित मामलों का निष्पादन शीघ्र करने हेतु समय-समय पर विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं ताकि अधिक राजस्व की वसूली हो सके।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि भविष्य में विभाग लंबित मामलों के निष्पादन में सतर्कता बरते।

इसी अनुशंसा के साथ समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

———

क्रमांक-6

अ० प्र० 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका-1.9

अ० प्र० 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका-1.9

अ० प्र० 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका-1.9

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन—वर्ष 1982-83 तक निर्गत एवं सितम्बर, 1983 बकाया पड़े अंकेक्षण प्रतिवेदनों एवं उनमें सन्निहित कंडिकाओं का विवरण म्नप्रकार है :—

विभाग	प्राप्तियों का प्रकार	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की सं०	कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जिसमें प्रथम प्रतिवेदन निर्गत किया गया
1	2	3	4	5
रिवहन	मोटरयान	280	1,258	1972-73

यद्यपि सरकार ने अनुदेश निर्गत किया है कि निरीक्षण प्रतिवेदन का पहला उत्तर नरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि से एक मास के भीतर विभागीय अधिकारियों ारा भेज देना चाहिए। फिर भी मार्च, 1983 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों के त्तर सितम्बर, 1983 तक पहला उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ था।

विवरण निम्न- प्रकार है :—

विभाग	प्राप्त करने वाले का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	वर्ष जिसमें प्रथम प्रतिवेदन निर्गत किया गया
रिवहन	मोटरयान	144	1972-73

विभागीय स्पष्टीकरण

(क) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा०प्रा०) की कंडिका-1.9 (क), (ख), (ग) का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका में वर्णित (क), (ख), (ग) कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित ला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कर दिया गया है तथा वर्तमान में वर्ष 1980-81 ी कोई कंडिका लम्बित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1981-81 (रा०प्रा०) की कंडिका 1.9 (ख) (6) का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका बकाया प्रतिवेदन से संबंधित है। सितम्बर 1982 तक 265 निरीक्षण प्रतिवेदन में 1.256 कंडिकाएँ थी जो वर्ष 1972-73 में सर्वप्रथम निर्गत हुआ था। उक्त कंडिकाओं के अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया तथा इनमें से अधिकांश कंडिकाओं का अनुपालन किया जा चुका है। निरीक्षण प्रतिवेदन में संबंधित कार्यालय का उल्लेख नहीं रहने के कारण निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कितने मामलों का निष्पादन किया जा चुका है तथा कितना अभी बाकी है, फिर भी विभाग द्वारा सामान्य रूप से सभी पदाधिकारियों को इनके निष्पादन हेतु समय-समय पर आवश्यक मार्ग-दर्शन किया जाता रहा है, ताकि इसका निष्पादन हो सके।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.9 (ख), (ग) का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका के संबंध में कहना है कि वर्ष 1982-83 के सभी निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन कर दिया गया है तथा वर्तमान में कोई मामला लम्बित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि स्पष्टीकरण के आधार पर उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

इस विन्दु पर अगले वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं से ज्ञात होता है कि विभागीय उत्तर तथ्य से परे तथा सन्तोषप्रद नहीं है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि प्राथमिकता के आधार पर विभाग एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं का निष्पादन कर छः माह के अन्दर समिति को अवगत करावें।

क्रमांक-7. अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका संख्या-1.10

ध्यान देने योग्य बातों पर सूचना प्राप्त नहीं होना—सम्बन्धित विभागों से निम्नलिखित विषय पर जुलाई, 1981 में सूचनाएं मांगी गई थीं, जिनका प्रतीक्षा है (मई, 1982) :—

(i) विभाग द्वारा 1980-81 के दौरान पकड़े गए धोखाधड़ी एवं कर वंचन के मामले।

(ii) 1980-81 के दौरान राजस्व को बट्टे-खाते में डालना और कर मुक्त करना।

(iii) 1978-79 एवं 1979-80 के भी ऐसे ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराये गये।

विभागीय स्पष्टीकरण

1980-81 के दौरान राजस्व को बट्टे खाते में डालने और कर मुक्त करने सम्बन्धी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। फिर भी इसके अनुपालन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद नहीं है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि (1) भविष्य में समय-सीमा के अन्तर्गत ही मांगी गई सूचनाओं को महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय। साथ ही इसमें विलम्ब करने वाले पदाधिकारियों पर जिम्मेवारी निर्धारित कर विभागीय कार्रवाई की जाय।

(2) विभाग धोखाधड़ी एवं कर अपवंचन के मामलों पर पूरी तत्परता से कार्रवाई करें जिससे सरकार के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो सके।

इसी अनुशंसा के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक-8. अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका-4.1

वर्द्धित लदान-भार को नहीं अपनाने से कम उगाही—बिहार और उड़ीसा मोटरयान कराधान अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत मालवाहक यानों पर लगाये जाने वाले कर का परिमाण यानों के पंजीकृत लदान भार पर निर्भर करता है। अगस्त, 1959 में जारी की गई अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार ने निर्दिष्ट किया था कि 1952 के सभी यानों और उससे पहले वाले मॉडलों पर 1952 के बाद वाले सभी मॉडलों पर विनिर्माताओं द्वारा प्रमाणित यानों के सकल यान-भार का पंजीकृत लदान-भार क्रमशः $112\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 125 प्रतिशत होना चाहिए। विभाग ने अगस्त, 1971 में अनुदेश जारी किया था, कि विनिर्माताओं द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर पहले से पंजीकृत यानों का पंजीकृत लदान-भार $12\frac{1}{2}$ या 25 प्रतिशत, जैसी स्थिति हो, बढ़ा दिया जाय और बढ़े हुए लदान-भार पर पथ-कर लगाया जाय। जनवरी, 1972 में पटना उच्च न्यायालय ने कुछ परिवाहकों द्वारा एक रिट याचिका पेश किये जाने पर अगस्त, 1971 में जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया। जब यह स्थगन आदेश हटा लिया गया (मार्च 1975), तो विभाग ने अगस्त, 1975 में पंजीकृत लदान-भार को बढ़ाने के लिए और बढ़ाए गए पंजीकृत लदान-भार पर कर वसूल करने के लिए पूर्ववर्ती अनुदेशों को लागू करने हेतु पंजीकरण प्राधिकारियों को निर्देश देते हुए पुनः अनुदेश जारी किया।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर, 1980) फरवरी, 1981 और मार्च, 1981) कि निम्नांकित जिला परिवहन कार्यालयों में विनिर्माता द्वारा प्रमाणित लदान-भार के सम्बन्ध में आवश्यक पृष्ठांकन नहीं किया गया था और 1952 के बाद वाले मॉडलों के 25 यानों के सम्बन्ध में कम लदान-भार में लागू होने वाली दर कम वसूल किया गया था। परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1975 और मार्च 1981 की अवधि के बीच इस मद में 54,495 रुपये के कर की हानि हुई।

परिवहन कार्यालयों के नाम	कुल यानों की संख्या	कर हानि की राशि
छपरा	12	23,476.71
पटना	9	20,071.25
मुजफ्फरपुर	4	10,946 65
कुल	25	54,494.61 अर्थात 54 495 रुपए

पटना के जिला परिवहन अधिकारी ने मार्च, 1981 में बताया कि लदान भार में पुनरीक्षण करने तथा कर के अंतर वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है।

इस बात की सूचना विभाग को अक्तूबर, 1981 तथा नवम्बर, 1981 और सरकार को जनवरी, 1982 में दी गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है (मई, 1982)।

विभागीय स्पष्टीकरण :—

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.1 में वर्द्धित लदान भार को नहीं अपनाने से कर की कम उगाही के संबंध में कहना है कि उक्त कंडिका का विषय जिला परिवहन कार्यालय, छपरा, मुजफ्फरपुर एवं पटना से संबंधित है जिसका संबंधित जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर विभागीय मन्तव्य निम्न प्रकार है :—

1 जिला परिवहन पदाधिकारी, छपरा का उक्त कंडिका से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

बी० आर० डी०-5743 पर बकाए राशि की वसूली दिनांक 25 मार्च, 1982 को कर ली गई है। शेष मामले में 1982 में ही निलाम पत्र वाद दाखिल कर दिया गया है जिसके माध्यम से वसूल होगा। उक्त तथ्यों के आलोक में आपत्ति समाप्ति की अनुशंसा की जाती है।

उक्त पदाधिकारी को निलाम पत्र मुकदमा सं० तथा तिथि के संबंध में इस विभाग के पत्रांक-13299 दिनाँक 16 सितम्बर, 1992 द्वारा सूचना मांगी गई है। उक्त पत्र में लम्बित बकाए कर की वसूली हेतु जिला नीलाम पत्र कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर अद्यतन स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया है।

2 जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने उक्त कंडिका में उठाई गई आपत्ति के अनुपालन में प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

अनुसूची 1 में वर्णित छः गाड़ियों के विरुद्ध वसूली हेतु कार्रवाई निम्न प्रकार है :—

1.	बी० आर० एफ०-3731	-नीलाम	वाद संख्या	30/85	दर्ज है।
2.	बी० एच० एफ०-3989	वही	वही	40/85	वही।
3.	बी० एच० एफ०-3240	वही	वही	37/85	वही।
4.	बी० एच० एफ०-4115	वही	वही	39/85	वही।
5.	बी० आर० एफ०-2943	वही	वही	38/85	वही।

6. बी० एच० एफ०-336-गाड़ी, सहरसा, जिले में चली गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा को इस कार्यालय के पत्रांक-906 दिनांक 21 अगस्त, 1985 को लिखा गया था एवं स्मार के उपरान्त भी उत्तर अप्राप्त है। सूचना प्राप्त होते ही समिति को सूचित कर दिया जायगा।

3. जिला परिवहन, पदाधिकारी पटना ने इस कंडिका के अनुपालन में प्रतिवेदन किया है कि इसमें कुल चार गाड़ियां हैं :—(1) बी०एच०क्यू०-9279 (2) बी०एच०क्यू० 7898 (3) बी० एच० क्यू० 8384 तथा (4) बी० एच० क्यू०-6175। इनमें तीन गाड़ियों का लदान वजन पुनरीक्षित कर बकाए कर की वसूली कर ली गई है। क्रमांक (2) की गाड़ी संख्या बी० एच० क्यू० 7898 के विरुद्ध मांग पत्र निर्गत कर बकाए कर की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, छपरा, मुजफ्फरपुर एवं पटना द्वारा प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश :—

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :—

(1) कम कर निर्धारण के लिए कौन-कौन पदाधिकारी जिम्मेवार थे उनके विरुद्ध जांच कर विभागीय कार्रवाई की जाय तथा की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराई जाय।

(2) लंबित बकाए कर की वसूली हेतु की गई कार्रवाई से संबंधित अद्यतन स्थिति से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

क्रमांक—9 अं० प्र० वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका संख्या-4.2 सड़क कर की संगणना में भूल—बिहार और उड़ीसा मोटर यान कराधान अधिनियम 1930 से अन्तर्गत सिर्फ माल ढोने के काम के लिए उपयोग किए गए यानों के संबंध में अणाकृत मान से, जो यानों के पंजीकृत लदान-भार पर निर्भर करता है, कर देय है।

जिला परिवहन आधकारी, जमशेदपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पता चला (जुलाई, 1980) कि 26 यानों के सम्बन्ध में कर पंजीकृत लदान-भारी पर लागू दर की अपेक्षा कम दर वसूला गया। 1978-79 से 1979-80 की अवधि में कम लगाये कर की कुल राशि 10,798 रु० थी।

इसकी सूचना विभाग को फरवरी, 1981 और सरकार को दिसम्बर, 1981 में
गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है (मई, 1982)।

विभागीय स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक, लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० पा०) की
का 4.2—सड़क कर की संगणना में भूल एवं लदान क्षमता का गलत ढंग से निर्धारण
कारण हुई राजस्व क्षति के संबंध में सूचित करना है कि उगत कंडिका का विषय जिला
वहन कार्यालय, जमशेदपुर से संबंधित है। जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर
प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर विभागीय मतव्य निम्न प्रकार है :—

जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर ने इस में कंडिका के अनुपालन के संबंध में
वेदित किया है कि इस कंडिका में कुल चार गाड़ियाँ सन्निहित हैं जिन में तीन
ड़ियों के विरुध बकाए कर की वसूली हेतु प्रशासनिक कारंवाई के साथ निलाम पत्र
दमा दायर किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :

सं०	गाड़ी सं०	बकाया राशि	निलाम पत्र मुकदमा संख्या एवं वर्ष।
1.	बी० आर० टी०—5604	3,648.82	623/92-93
2.	बी० एच० टी०—210	4,502.67	615/92-93
3.	बी० आर० एक्स०—5509	4,583.51	329/92-93

गाड़ी निबंधन सं० बी० आर० एक्स०—9745 राजदूत मोटर साईकिल
जिसका वर्ष 1975 से को कोई पता नहीं है। उक्त वाहन भार वाहन नहीं
। अत: लिप्त लेखन की प्रक्रिया की जा रही है।

अत: वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि जिला परिवहन पदाधिकारी
शेदपुर द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने
की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति यह अनुशंसा करती है कि :—

(1) विभाग सड़क कर को संगणना में भूल एवं लदान क्षमता का गलत ढंग
र्धारण किए जाने के कारण हुई। राजस्व क्षति के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों
वरुद्ध कारंवाई कर समिति को छः माह के अन्दर सूचित करें।

(2) बकाए कर की वसूली में विलम्ब करने वाले पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी सुनिश्चित कर उनके विरुद्ध की कारंवाई से समिति को छः माह के अन्दर सूचित किया जाय ही भविष्य में इस तरह को अनियमितता नहीं बरती जाय।

(3) अंकेक्षण आपत्तियों मे निहित वाहनों से बकाये कर की वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति को छः माह के अन्दर सूचित किया जाय।

क्रमांक-10

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० आ०) की कंडिका-4.3 (क) (ख)

कर का भुगतान किये बिना यान चलाना — बिहार और उड़ीसा मोटरयान करारोपण अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत उपयोगार्थ मोटरयान रखनेवाले व्यक्ति का मोटरयान व्यवहार करने के लिए कर देना अनिवार्य है। उपरोक्त अधिनियम ऐसे यानों को कर से मुक्त करता है जो व्यवहार करने के उद्देश्य से न हो और जिनका कर-टोकन कर अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया गया हो। बिना कर दिये व्यवहार के लिए यानों को रखना उक्त अधिनियम के अनुसार जुर्म है और इस जुर्म के लिए मोटरयान मालिक को जुर्माने के साथ दण्डित किया जा सकता है जो मोटरयान के वार्षिक कर के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगा।

(क) जिला परिवहन कार्यालय, पटना की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (मार्च, 1981) कि अक्टूबर, 1973 और मार्च, 1981 के बीच, की विभिन्न अवधियों के लिए तीन यानों के सम्बन्ध में सड़क में सड़क-कर के किस्तों की अदायगी नहीं की गई थी हालांकि वहां कोई ऐसा अभिलेख नहीं था जिससे पता चलता कि उक्त अवधि में मोटरयान सड़कों पर नहीं चलाये और कर-टोकन को अभ्यर्पित किया गया तथा बिहित प्रक्रिया के अनुसार मालिकों द्वारा कर विमुक्ति का दावा किया गया। मोटरयान निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी, 1974 और दिसम्बर, 1980 के बीच की विभिन्न अवधियों के लिए इन यानों के संबंध में दुरुस्त होने के प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे। हालांकि मोटोर यान निरीक्षक को दुरुस्ती का प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व सड़क-कर की अदायगी न करने के संबंध में कर लगाने वाले प्राधिकारी के पास रिपोर्ट करना चाहिए था किन्तु इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं की गई।

इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 1981 को अन्त होनेवाली तिमाही तक की अवधि का 30,593 रुपये का सड़क-कर नहीं वसूला गया। इन मामलों में इस जुर्म के लिए लगनवाला अधिकतम जुर्माना आंकलन करने पर 45,890 रुपये हुआ।

इसकी सूचना विभाग को नवम्बर, 1981 तथा सरकार को दिसम्बर, 1981 में दी गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है (मई, 1982)।

(ख) इसी प्रकार जिला परिवहन कार्यालय, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में जून, 1972 और मार्च, 1980 के मध्य की विभिन्न अवधियों के लिए सात यानों के संबंध में सड़क-कर की किस्तों का भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि इन यानों के साथ सड़क दुर्घटनाएं हुई जो साबित करती है कि ये सड़कों पर चले। इसके अतिरिक्त, इसके विरुद्ध यातायात अपराध के मामले भी पुलिस में दर्ज है। परिणामस्वरूप जून, 1972 और मार्च, 1980 के बीच के अवधियों से संबंधित 69,263 रुपये का सड़क-कर नहीं वसूला गया। इन मामलों में अधिकतम जुर्माना जो लगाया जाता, हिसाब करने पर 1,03,895 रुपये होता है। विभाग को इसकी सूचना अक्तूबर और नवम्बर, 1981 में तथा सरकार को दिसम्बर, 1982 में दे गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है (मई, 1982)।

विभागीय स्पष्टीकरण

कडिका 4.3 सड़क-कर न लगाया जाना, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर मोतीहारी तथा पटना से संबंधित है। इस कडिका का अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से प्राप्त हुआ है, जो निम्न प्रकार है :—

. जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि—

(i) गाड़ी सं० बी० आर० एफ०-6195 पर बकाए कर की वसूली हेतु मांग-पत्र निर्गत किया गया था जो वापस हो गया। तदुपरांत थाना प्रभारी, मूढ़नी (मुजफ्फरपुर) को इस संबंध में पत्रांक-14, दिनांक 5 जनवरी, 1982 द्वारा लिखा गया परन्तु कुछ प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की गई।

(ii) गाड़ी सं०-बी० आर० एफ०-4817 से बकाए कर की वसूली हुई है। सिर्फ मार्ग-कर I/76, II/82 एवं I/83 तथा अतिरिक्त कर II/84 एवं I/85 तिमाही का पे-इन-स्लिप गाड़ी मालिक द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। इसके लिए स्मार जारी किया गया तथा निलाम-पत्र मुकदमा दायर कर दिया गया है।

(2) जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी ने प्रतिवेदित किया है कि का वसूली हेतु निलाम-पत्र वाद दायर किया जा चुका है।

(3) जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने इस संबंध में अपना अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार दिया है :—

क्रम सं०	गाड़ी सं०	अवधि जिसका कर छूट गया	सन्निहित राशि	वसूली गई राशि	सड़क पर नहीं चलने वाली गाड़ियों में सन्निहित राशि
1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
1.	बी० एच० पी० 5768	1-7-78 से 31-3-81	7,734.75	6,668.00	1,402.50
2.	बी० एच० पी० 8041	1-10-77 से 31-3-81	7,334.60	3,670.30	3,667.30
3.	बी० आर० पी० 1842	1-10-73 से 31-11-75	4,183.50	बी० आर० पी०-1842 का मूल पंजी फट जाने के कारण पंजी की द्वितीय प्रति में उक्त गाड़ी का अंकण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।	
		1-12-75 से 31-3-81	11,352.05		

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में संबंधित परिवहन पदाधिकारियों द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण पूर्ण एवं स्पष्ट नहीं है। अत: समिति अनुशंसा करती है कि—

1. अंकेक्षण आपत्ति से संबंधित सड़क कर एवं जुर्मानों की वसूली नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई नहीं की गई, कार्रवाई समिति को सूचित किया जाय।

2. सड़क कर एवं जुर्मानों से, अब तक कितनी राशि की वसूली की गई है, समिति को अवगत कराया जाय।

3. भविष्य में इस तरह की अनियमितता नहीं बरती जाय।

क्रमांक 11.—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.4

सड़क कर की गलत दरों को लागू करना—बिहार और उड़ीसा मोटर यान कराधान अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत कर यान के लिए, जो उपयोग के लिए रखा जाता है, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निश्चित की गई दरों के अनुसार कर देना पड़ता है।

जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (जुलाई 1980) कि एक यान पर जिसे 13,382 कि० ग्रा० लदान-भार के लिए पंजीकृत किया गया था, 1976-77 के लिए 1,082.40 रुपये की दर से तथा अप्रील, 1977 से मार्च 1978 की अवधियों के लिए 935.30 रु० की दर से लगाया गया, जबकि विहित दर 3,008.50 रु० प्रतिवर्ष है। 1976-77 से 1980-81 की अवधियों के दौरान कुल 10,218 रु० का कम कर लगाया गया है। विभाग को इसकी सूचना फरवरी, 1981 में तथा सरकार को जनवरी, 1982 में दी गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (मई 1982)।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त कंडिका 4.4 सड़क कर की गलत दरों को लागू करने के संबंध में कहना है कि उक्त कंडिका जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर से सम्बन्धित है। जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर ने उक्त कंडिका के अनुपालन में निम्नलिखित प्रतिवेदन दिया है:—

प्रश्नगत कंडिका में ट्रक सं० बी० आर० डी०-6360 जिसका निबंधन मूलत: वर्ष 1960 का है, 10,705 (एल० पी० एस०) पौंड पर किया गया है। वर्ष 1976 में गाड़ी का लदान वजन 25 प्रतिशत अतिरिक्त लदाई वजन देकर पुनरीक्षित लदाई वजन 13,382 पौंड किया गया है परन्तु निबंधन पुस्त में एल० पी० एस० पौंड के बदले के० जी० लिखे जाने से अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति की गई है। मूलत: गाड़ी का लदाई वजन 13,382 एल० पी० एस० है जो मूल निबंधन पुस्त के अनुसार है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी जमशेदपुर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 12.—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981·82 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.1

नमूना लेखा परीक्षा के सामान्य परिणाम—पहली अप्रील 1981 और मार्च 1982 के मध्य में 26 जिला परिवहन कार्यालयों के कर निर्धारण तथा सग्रहण सबंधी अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 470 मामलों में 2.77 लाख रुपये के मोटर यान कर कम लगाये गए। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत किया गया है:—

		मामलों की संख्या	(लाख रुपयों में)
1.	अनियमित छूट देने तथा गलत दरों को लागू करने के कारण पथ कर का कम उदग्रहण	166	1.17
2.	जुर्माना और कर को कम कम वसूली	129	0.98
3.	विविध	175	0.62
	योग	470	2·77

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त कंडिका 4.1 के सबंध में कहना है कि पहली अप्रील, 1981 और 31 मार्च, 1982 के मध्य कुल 470 मामलों में अनियमित छूट देने तथा गलत दरों को लागू करने के कारण पथ कर के रूप में कुल 2.77 लाख रुपये का कम उदग्रहण होना प्रतिवेदन में किया गया है।

इस कमी का कारण है कि उस समय यात्री कर तथा मालकर के रूप में की गई कुल वसूली का 20 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था में करों की सही गणना कठिन था। अतः बाद में बिहार मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1930 में संशोधन कर यात्रियों को बैठाने की क्षमता तथा निबंधित लदान वजन के आधार पर मार्ग कर तथा अतिरिक्त मोटर गाड़ी कर निर्धारण किया गया। इस प्रकार उक्त कंडिका का अनुपालन पूर्व में अधिनियम में संशोधन कर किया जा चुका है। जहाँ तक 26 जिलों से कम कर वसूली का प्रश्न है, इस संबंध में उक्त कंडिका में जिला परिवहन कार्यालयों का वर्णन अंकित नहीं किया गया है, जिससे पता नहीं चलता है कि वस्तुतः किस जिले से कम कर की वसूली की गई। जो भी हो, इस कंडिका का अनुपालन मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम में संशोधन कर किया जा चुका है। अतः उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश।

विभागीय उत्तर पूर्ण एवं स्पष्ट नहीं है; अतः समिति अनुशंसा करती है कि—

अंकेक्षण प्रापत्ति में वर्णित 2.77 लाख रुपये कम कर लगाने के लिए कौन पदाधिकारी जिम्मेवार थे तथा उन पर इसके लिए दोषा करार कर क्या कार्रवाई की गई है, से समिति को अवगत कराया जाय।

क्रमांक 13—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका-4.2

कर-निर्धारण से सर्वोत्तम विवेक के आधार पर कर योग्य पण्यावर्त की गणना में गलती – वाणिज्य-कर विशेष अंचल, पटना में अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (अगस्त 1982) कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अपेक्षित लेखे और कागजात नहीं पेश कर सकने पर इसके द्वारा प्राप्त भाड़े और ढुलाई की राशि सर्वोत्तम विवेक के आधार पर 1976-77, 1977-78 और 1978-79 का क्रमशः 12, 24, 91, 028 रु० 11, 78, 07, 968 रु० और 10, 41, 16, 456 रुपये निर्धारित किया गया (जुलाई 1981) जैसा कि करदाता के द्वारा विवरणियों में दिखाया गया था। भाड़े और ढुलाई से अर्जन संबंधी आंकड़ों को अलग-अलग हिसाब न करके तथा उसपर कर की सही दरों (25 प्रतिशत भाड़ों पर तथा 20 प्रतिशत ढुलाई पर) का लागू न करके कर-निर्धारण अधिकारी ने 1976-77 और 1977-78 के अर्जन पर 20 प्रतिशत तथा 1978-79 के अर्जन पर 25 प्रतिशत एक समान दर लागू कर 8 जुलाई, 1981 का कर निर्धारण का कार्य पूरा किया। निगम के वार्षिक प्रमाणिक लेखे जिसे कर-निर्धारण की तिथि के पूर्व अन्तिम रूप दे दिया गया था, के संदर्भ में पता चला कि 1976-77, 1977-78 और 1978-79 का भाड़ और ढुलाई पर अर्जन क्रमशः 12,35,26,119 रु० (भाड़ा 12, 19, 26, 539 रु० और ढुलाई 15, 99, 580 रु०) 11, 86, 96, 024 रु० (भाड़ा 11,17,96,123 रु० और ढुलाई 14,99,901 रु०) और 13,61,49,380 रु० (भाड़ा 13,48,89,816 रु० ढुलाई 12,59,564 रु०) था। सर्वोत्तम विवेक के आधार पर गलत कर योग्य पण्यावर्त ग्रहण करने तथा उसपर गलत दर के लागू करने के फलस्वरूप 1976-77 से 1978-79 की अवधि में 2,02,86,015 रुपये का कम कर-निर्धारण हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त कंडिका 4.2 के अनुपालन के सम्बन्ध मे कहना है कि बिहार यात्री और माल (लोक सेवा मोटर यानों द्वारा ढुलाई) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत लोक सेवा मोटर यानों के मालिकों पर लगने वाले करों का निर्धारण भाड़े का 25 प्रतिशत तथा ढुलाई का 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जिसके आधार पर कर की वसूली की जाती थी, जिसे बाद में बिहार मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1930 में संशोधन कर मार्ग-कर तथा अतिरिक्त मोटर गाड़ी कर निर्धारित किया गया था इसके आधार पर वसूली की जाने लगी। इस प्रकार उक्त वाहन करारोपण अधिनियम में संशोधन कर दिया गया।

जहाँ तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अभिलेखों की जाँच का प्रश्न है, उक्त कंडिका में संबंधित अभिलेखों का विवरण अंकित नहीं रहने के कारण यह पता लगाना सभव नहीं हो पा रहा है कि वस्तुतः किस अभिलेख में कम राजस्व की वसूली हुई है।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर संतोषप्रद नहीं है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि :—

(1) कर की सही दरों को लागू न करने से सम्बन्धित पदाधिकारियों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इससे समिति को सूचित किया जाय।

(2) कम कर लगाए गए राशि 2,02,86,015 रुपये की वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

(3) भविष्य में इस तरह की अनियमितता नहीं बरती जाय।

———

क्रमांक—14. अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका-4.3

मोटरयान कर नहीं लगाना—जिला परिवहन कार्यालय, रांची और पटना की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया (मई-जून, 1981 और जनवरी-फरवरी, 1982) कि अप्रील, 1973 और मार्च, 1981 के बीच की विभिन्न अवधियों के लिए 14 यानों के संबंध में कर के किस्तों की अदायगी नहीं की गई थी, हालांकि वहाँ कोई ऐसा अभीलेख नहीं था जिससे पता चलता कि उक्त अवधि में मोटरयान सड़कों पर नहीं चलाए गए

और कर-टोकन को अभ्यर्पित किया गया तथा विहित प्रक्रियानुसार मालिकों द्वारा कर मुक्ति का दावा किया गया। वास्तव में मोटरयान निरीक्षक की रिपोर्ट से पता चला कि सभी चौदहों यान जून, 1980 और मार्च, 1981 के बीच सड़क दुर्घटना के शिकार हुए। स्पष्टत: ये यान सड़क पर चलाए गए। उन तिथियों तक, जिन विभिन्न मामलों में दुर्घटना की रिपोर्ट की गई थी, से हिसाब करने पर नहीं वसूले गए पथकर की राशि 1,24,879 रु० हुई तथा इन मामलों में इस अपराध के लिए मालिकों पर जुर्माना भी नहीं लगाया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त कंडिका 4.3 के अनुपालन जिला परिवहन कार्यालय, राँची तथा पटना से संबंधित है। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

1.—जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची ने प्रतिवेदित किया है कि उनके जिला से 10 गाड़ियाँ संबंधित है जिन पर बकाए कर की वसूली हेतु निम्न प्रकार से कार्रवाई की गई है :—

वर्णित गाड़ियों मे से निम्नलिखित गाड़ियों का कर भुगतान कर दिया गया है, बी आर भी-9635, बी एच एन-5400, बी एन एन-6623, बी आर भी-6189, बी आर भी-7911 निम्न गाड़ियों के विरुद्ध कर की वसूली हेतु निलाम पत्र वाद दायर किया गया है :—

क्रम सं०	गाड़ी संख्या	नीलाम पत्र वाद सं०
1.	बी आर भी—9981	555
2.	बी एच एन—5339	599
3.	बी आर भी—8455	553
4.	बी आर भी—1121	598
5.	बी एच भी—898	यह गाड़ी प्रत्यार्पित है।

वर्णित तत्वों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश ।

विभागीय उत्तर पूर्ण नहीं है । अत. समिति अनुशंसा करती है कि—

(1) कर वसूली नहीं करने वाले कौन-कौन पदाधिकारी थे, उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई तथा बकाए कर की वसूली की दिशा में अबतक क्या कारंवाई की गई है, ये समिति को छः माह के अन्तर्गत अवगत कराया जाय ।

(2) यान मालिकों पर जुर्माना नहीं लगाने के क्या कारण थे । इससे समिति को अवगत कराया जाय ।

क्रमांक—15 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) कंडिका-4.4

(क) कम कर लगाना--जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग, जमशेदपुर और सहरसा के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया (अप्रील और दिसम्बर, 1981 के बीच) कि छः यानों के लदान-भार में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप अक्तूबर, 1975 और दिसम्बर, 1981 के बीच विभिन्न अवधियों में 17,556 रुपये के कर की कम वसूली हुई ।

(ख) उन मामलों में जहां विनिर्माताओं का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, पंजीकृत लदान-भार यान के पहिया आधार और टायर के आकार के अनुरुप विसर्पी क्रम पर निश्चित किया जाता है ।

जिला परिवहन कार्यालय, पटना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (जनवरी-फरवरी, 1982) पाया गया कि मार्च, 1974 और जुलाई, 1976 के मध्य में छः यात्री बसों को ट्रक में रूपान्तरित किया गया । यानों के पाहिया आधार और टायर के आकार के आधार पर उनका सही पंजीकृत लदान-भार 13,750 किलोग्राम था, किन्तु उसकी जगह पर 10,769 किलोग्राम निर्धारित किया गया । इन परिवर्त्तित यानों के पंजीकृत लदान-भार के गलत निर्धारण के फलस्वरुप जुलाई, 1974 से दिसम्बर, 1981 की अवधि में कुल 36,301 रुपये के कर की कम वसूली हुई ।

विभागीय स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त कंडिका जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग, जमशेदपुर से संबंधित है। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा दिया गया अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

1 जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग ने निम्न रुप से प्रतिवेदन दिया है :—

क्रम सं०	गाड़ी सं०	बकाया	अनुपालन
1.	बी० आर० एम०-8753	3006.67	नीलाम पत्र वाद सं० 90/92-93 दिनांक 9 जुन, 1992
2.	बी० आर० एम०-8707	2060 00	नीलाम पत्र वाद सं० 89/92-93 दिनांक 9 जुन, 1992
3.	बी० आर० एम०-8687	3006.67	वही 103/ वही।
4.	बी० आर० एम०-8649	3006.00	वही 102/ वही।
5.	बी० आर० एम०-8636	2346.00	वही 101/ वही।
6.	बी० आर० एम०-8587	2933.32	बैंक स्क्रोल सं० 182 दिनांक 8 जुन, 1992
7.	बी० आर० एम०-0812	1210.00	नि० पत्र वाद सं०-99/92-9-93
8.	बी० एच० एम०-4034	1540.00	वही 104/92-93
9.	बी० एच० एम०-293	1760.00	वही 105/92-93
10.	बी० आर० एम०-7590	4883.37	वही 100/92-93
11.	बी० आर० एम०-5116	277.70	वही 97/92-93
12.	बी० आर० एम०-5875	1490.00	बैंक स्क्रौल 182 दिनांक 8-6-92

जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर ने प्रतिवेदन किया है कि दस में निम्नलिखित गाड़ियां है जिन पर समुचित कार्रवाई की गई है।

1.	बी० आर० एक्स०-9475	540465.00	नि० पत्र वाद सं०-349/92-93
2.	बी० आर० एक्स०-5509	5233.00	वही 9/92-93

वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश।

विभागीय स्पष्टीकरण पूर्ण एवं संतोषप्रद नहीं है अतः समिति अनुशंसा करती है कि—

(1) लदान भार में अपेक्षित वृद्धि न कर कम कर वसूल करने के लिए कौन-कौन पदाधिकारी जिम्मेवार थे तथा उनके विरुद्ध विभाग द्वारा आज तक क्या कार्रवाई की गई है, से समिति को अवगत कराया जाय।

(2) 17,556 रुपया और 36,301 रु० बकाए कर की वसूली की अद्यतन स्थिति क्या है, सम्बन्धित पूर्व विवरण छः माह के अन्दर समिति को उपलब्ध कराई जाय।

क्रमांक-16--अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा०प्रा०) की कंडिका-4.5

पथ-कर की गलत दरों को लागू करना। (क)--जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (अप्रील-मई, 1981) कि पंजीकरण के समय यानों के गलत लदान-भार ग्रहन करने के कारण 9 यानों पर विहित दर से कर न लगाकर निम्नतर दर पर कर लगाया गया। जिसके फलस्वरूप अक्टूबर, 1977 और मार्च, 1981 की विभिन्न अवधियों में 21,524 रुपये कम कर लगाया गया।

(ख) जिला परिवहन कार्यालय, रांची के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (मई-जून, 1981) कि एक सितम्बर, 1977 से 31 दिसम्बर, 1981 की अवधि में 89 यानों पर विहित दरों 181.50 रुपये से 1,236.15 रुपये प्रति यान प्रति तिमाही की जगह 18.75 रुपये से 972.15 रुपये प्रति यान प्रति तिमाही दरों पर कर लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप कुल 13,151 रुपये के कर को कम उगाही हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त कंडिका जिला परिवहन कार्यालय हजारीबाग तथा रांची से संबधित है। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा दिया गया अनुपालन प्रतिबेदन निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	गाड़ी संख्या	बकाए राशि	की भुगतान की स्थिति
(1)	बी०आर०एम०—816	198-00	बैंक स्क्रोल सं० 123 दिनांक 13.2.82 द्वारा भुगतान किया गया।
(2)	बी०आर०एम०—9378	80-75 27-00	,, 80 दि० 7-1-82 ,,

क्रम सं०	गाड़ी संख्या	बकाए राशि		की भुगतान की स्थिति।
(3)	बी०आर०एम०— 621	329-82	,,	183 दि० 8-6-92 ,,
(4)	बी०एच०एम०— 98	132-00	,,	140 दि० 20-8-92 ,,
(5)	बी०एच०एम०—8904	204-05	,,	89 दि० 21-1-83 ,,
(6)	बी०एच०एम०—7305	24-75	,,	3 दि० 10-6-82 ,,
(7)	बी०आर०एम०—8463	159-50	,,	29 दि० 27-8-82 ,,
(8)	बी०एच०एम०—4458	17-00	,,	15 दि० 17-6-92 ,,
(9)	बी०एच०एम०— 745	36-00	,,	54 दि० 31-10-81 ,,
(10)	बी०आर०एम०—7722	176-00	,,	निलाम पत्र सं० 106/92-93 दायर किया गया।
(11)	बी०एच०एम०--353	286-00	,,	107/92-92 ...
(12)	बी०एच०एम—428	40-50	,,	98/92-93 ..
(13)	बी०आर०एम०—7199	40-60	,,	92/92-93 ...
(14)	बी०आर०एम०—9914	201-10	,,	1082/92-93 ..
(15)	बी०आर०एम०—9984	02·90	,,	तीन रुपये अर्धसिव स्टाम्प के द्वारा भुगतान किया गया।
(16)	बी०एच०एम०--6424	362-92	,,	निबंधन पंजी के अनुसार यह गाड़ी स्कूल बस में निबंधित है परन्तु अंकेक्षण प्रतिवेदन में टैक्सी दर्शाया गया है। इस गाड़ी में 53 सीट है जबकि प्रतिवेदन में बैठान क्षमता 7 दर्शाया गया है। यह बकाया राशि 1-4-80 से 30-4-81 का अंकित किया गया है जबकि गाड़ी का निबंधन 27-7-85 को हुआ है जो कि बकाया राशि के बाद का है इस लिए अंकेक्षण आपत्ति असंगत है।

(17) 8971 192-15 गाड़ी का निबंधन दिनांक 1-11-83 को हुआ है तथा गाड़ी का मॉडल भी वर्ष 1983 ही है। इस गाड़ी पर बकाया राशि की अवधि 1-2-1980 से 31-1-1981 दर्शाया गया है। इसलिए इस अवधि की बकाया राशि की वसूली असंगत है।

2—यह आपत्ति ट्रक सं०-बी०एच०आई०-8416 से संबंधित है। यह आरक्षी विभाग से नाम निबंधित ट्रूप्स ट्रक है। इसका निबंधन वर्ग-6 में 30 आसन क्षमता पर की गई है आसन क्षमता का पुनराक्षण कराने हेतु निदेश दिया गया है एवं बकाया अन्तराल कर की वसूली हेतु निलाम वाद सं०-600 दायर किया गया है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा दिये गये अनुपालन प्रतिवेदन के आधार पर इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर संतोषप्रद है जिसके आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक-17 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 राजस्व प्राप्तियां की कंडिका — 4.6

बकाये राशियों को वसूले बिना वर्तमान कर की स्वीकृति—बिहार और उड़ीसा मोटरयान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत कराधान अधिकारी मोटरयान के चालू तिमाही कर को लेना अस्वीकार कर सकता है, जबतक कि पिछला कर जो उस यानों के लिए बकाया है, पूरी तरह अदा नहीं किया जाता है अथवा कराधान अधिकारी द्वारा उसका संतोषजनक रूप में निपटारा नहीं हो जाता है। परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया (जून-जुलाई, 1981) कि 13 यानों के संबंध मे वर्तमान वर्ष के कर वसूले गए थे और बिना बकाया कर को वसूली के मालिकों को टोकन दिए गए थे। हालांकि यानों, जिनके लिए कर नहीं दिए गए, के किसी अवधि में बेकार पड़े रहने को सिद्ध करने वाला कोई अभिलेख नहीं था। अप्रील, 1973 और मार्च, 1981 की अवधि में बकाया कर जो न लगाया गया और न वसूला गया, की राशि 21,616 रुपये हुई। अलावे यानों के मालिक भुगतान के माह तक आकलित कर की राशि का 50 प्रतिशत के बराबर का अर्थ दंड के रूप में देने के भागीदार थे।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त कंडिका जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर से संबंधित है। जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा दिया गया अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है—

क्रम सं०	गाड़ी संख्या	बकाए का राशि	वसूली की स्थिति
1.	बी०एच०एस० 8010	181.50	निलाम पत्र संख्या 328/90 दायर किया गया।
2.	बी०एच०एस० 8141	1236.15	निलाम पत्र ,, ,, 330/90
3.	बी०एच०एस० 8079	701.25	,, ,, ,, ,, 158/91-92
4.	बी०एच०एस० 8172	55.00	इस गाड़ी के कर आर० टी० ओ० मयूरभंज (उड़ीसा) में भुगतान किया गया है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र सं० 494, दि० 12 फरवरी 1980,
5.	बी०एच०एस० 8232	55.99	चालान सं० 4, दिनांक 6 मार्च 1982 द्वारा भुगतान किया गया।
6.	बी०एच०आर० 6020	840.15	चा० सं० 18 दि० 30 दिसंबर 1980 द्वारा भुगतान किया गया।
7.	बी०एच०टी० 2341	217.50	च०सं०-32, दिनांक 1 जुलाई, 1976 द्वारा भुगतान किया गया।
8.	बी०एच०टी० 4952	906.15	च०सं०-136, दिनांक 7 जनवरी, 1982 द्वारा भुगतान किया गया।
9.	बी०एच०टी० 5812	2520.45	च० स०-के-16, दिनांक 31 मार्च, 1980 द्वारा भुगतान किया गया।
10.	बी०एच०टी० 6567	55.00	च०सं०-बी-34, दिनांक, 8 जुलाई, 1980 द्वारा भुगतान किया गया।
11.	बी०आर०एक्स० 9967	701.25	च०सं० 80, दि० 10 अक्टूबर, 1980 च०सं०-15, दि० 15 जुलाई, 1980 द्वारा भुगतान किया गया। च०सं० 17 दिनांक 13 जुलाई, 1980 द्वारा भुगतान किया गया।

क्रम सं०	गाड़ी सं०	बकाए की राशि	वसूली की स्थिति
12.	बी०आर०एक्स 8640 बिना बका कर की वसूली के वर्तमान कर की स्वीकृति	7953.00	निलाम पत्र मु० सं० 157/92-93 दायर किया गया।
13.	बी०आर०एक्स 535	6193.00	च०सं० 60, दि० 12 जनवरी 1977-774.15 ,, 84, दि० 8 अप्रील 1978-774.15 ,, 42, दि० 7 जुलाई 1978-774.15 ,, 88, दि० 4 अक्टूबर 1978-774.15 ,, 178, दि० 5 जनवरी 1979-774.15 ,, 32, दि० 23 मार्च 1979-774.15 ,, 30, दि० 7 जुलाई 1979-774.15 ,, 39, दि० 17 अगस्त 1979-774.15 6195.20

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कंडिका में उल्लिखित आपत्तियों का अनुपालन जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण संतोषप्रद है जिसके आलोक में समिति इस अनुशंसा के साथ अब इस कंडिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। भविष्य में वाहन मालिकों से बकाए की राशि की वसूली के बाद ही विभाग टोकन देने की कार्रवाई करे।

क्रमांक--18 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (राजस्व प्राप्तियों) की कंडिका-4.1

नमूना जांच के सामान्य परिणाम—जिला परिवहन कार्यालय के कर निर्धारण और कर वसूली संबधी पहली अप्रील, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान 853 मामलों में मोटरयान कर, परमिट, फीस, दण्ड, शुल्क इत्यादि से संबंधित 16.31 लाख रुपये की कम वसूली का पता चला। इन्हे निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है :—

क्रम सं०	विवरण	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
(1)	करों की नहीं वसूली/कम वसूली	237	9.92
(2)	अनियमित छूट/वापसियां	39	1.11
(3)	परमिट फीस की नहीं वसूली/कम वसूली	167	0.32
(4)	अर्थ दंड या जुर्माना को नहीं लगाया जाना/ कम वसूली करना :	111	0.46
(5)	बकाया कर की वसूली किये बिना चालू कर को लिया जाना।	38	0.48
(6)	पंजीकृत लगान भार का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण कर की कम वसूली।	197	2.81
(7)	विविध	64	1.21
	जोड़	853	16.31

विभागीय स्पष्टीकरण।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (राजस्व प्राप्तियां) की कंडिका 4.1 में नमूना जांच के सामान्य परिणाम के संबंध में कहना है कि उक्त कंडिका का विषय विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों से संबंधित है। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से प्राप्त उत्तर एवं स्पष्टीकरण के आधार पर विभागीय मन्तव्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में 853 मामलों में पाया गया कि मोटरयान कर, फीस, दण्ड, शुल्क आदि में वसूल नहीं किये जाने से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है। इस संबंध में कहना है कि विभाग

की ओर से इस बिन्दु पर स्पष्ट मार्गदर्शन पूर्व में नहीं दिया गया था। जिसके फलस्वरूप उपरोक्त तरह की अनियमिततायें हुई। परन्तु अब इस तरह की अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार की ओर से अनेक आवश्यक निर्देश पूर्व के अनुभव के आधार पर इधर दिये गये साथ ही कुछ मामले में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी चलाई गई है। इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है।

अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश।

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :—

विभाग की तरफ से राजस्व वसूली के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन पूर्व में नहीं दिए जाने के लिए कौन से पदाधिकारी दोषी हैं। इसकी जांच कर दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करते हुए समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

क्रमांक--19 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (राजस्व प्राप्तियां) की कंडिका-4.2

सड़क कर की उगाही न करना/बिहार और उड़ीसा मोटरयान अधिनियम 1980 के अधीन मोटरयान रखने वालों द्वारा कर का भुगतान किश्तों में किया जाना होता है। जिला परिवहन कार्यालयों (चाईबासा तथा रांची) की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अक्टूबर, 1975 से मार्च, 1982 के बीच विभिन्न अवधि में 23 यानों के सड़क कर की किश्तों का भुगतान नहीं किया गया था जबकि ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे संकेत मिल सके कि वे मोटरगाड़ियां इस अवधि में सड़क पर नहीं थी तथा टैक्स टोकन अभ्यर्पित किये गये थे तथा मालिकों द्वारा विहित प्रक्रिया में कर भुगतान से छूट के दावे किये गये थे। मोटरगाड़ी निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई, 1981 से मार्च, 1982 के बीच 23 मोटरगाड़ियां सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयीं। इससे पता चलता है कि उक्त गाड़ियां सड़क पर चल रही थीं। फिर भी सड़क कर लगाने तथा उनसे वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप इन मामलों में किये गये अपराध के लिए वसूलनीय अर्थ दंड के अतिरिक्त 1,95,193 रुपये सड़क कर की वसूली नहीं की गई (उस तिमाही तक जिसमें दुर्घटना हुई थी)।

(2) जिला परिवहन अधिकारी, धनबाद ने मई, 1982 में शपथ पत्र पुलिस सत्यापन रिपोर्ट तथा संबद्ध अवधि में वृहत मरम्मत के लिए गाड़ियों के गैरेज में रहने संबंधी मालिकों द्वारा गैरेज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अक्टूबर, 1975 से अगस्त, 1981 के बीच विभिन्न अवधि से संबद्ध करीब 6 से 49 महीनों के लिए कर के भुगतान से तीन गाड़ी मालिकों को कार्योत्तर छूट की संस्वीकृति दिया।

बकि मोटरयान निरीक्षक, धनबाद के अभिलेखों के प्रतिसत्यापन से पता चलता है कि विभिन्न तिथियों पर उनके द्वारा दुरुस्ती प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए (गाड़ियों को सड़क पर चलने की दुरुस्ती बताते हुए) संस्वीकृति दी गई थी। ये तिथियां उस अवधि से सम्बन्धित है जिनमें कर भुगतान की छूट दी गई थी जो कर निर्धारण अधिकारी से सत्यापित किये बिना ही संस्वीकृति की गई।

वर्तमान प्रशासकीय अनुदेशों के तहत कर निर्धारण अधिकारी से गाड़ियों के कर भुगतान की स्थिति की जानकारी लेना अपेक्षित था। अतः कर निर्धारण अधिकारी तथा मोटरगाड़ी निरीक्षक के बीच समन्वय न होने के कारण इन गाड़ियों के मालिकों को 19,085 रुपये की अनियमित छूट दी गई।

विभागीय स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (राजस्व प्राप्तियां) की कंडिका 4.2 सड़क कर की उगाही न करने के कारण हुई राजस्व क्षति के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त कंडिका का सम्बन्ध परिवहन पदाधिकारी, चाईबासा, रांची एवं धनबाद से सम्बन्धित है। सम्बन्धित जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त उत्तर एवं स्पष्टीकरण के आधार पर विभागीय मंतव्य निम्न प्रकार है :—

(1) जिला परिवहन पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा जैसा कि बैठक में बतलाया गया कि इस दिशा में कार्रवाई की गई है किन्तु अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र भेजने हेतु इस विभाग के पत्रांक-13299, दिनांक 16 सितम्बर, 1992 द्वारा पुनः स्मारित किया गया है।

(2) जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची ने इस कंडिका के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन किया है कि इसमें कुल 25 गाड़ियों का विवरण है जिसमें से मालिकों से बकाया कर की वसूली हो गई है, जो परिशिष्ट "क" पर अंकित है शेष 8 गाड़ियों के विरुद्ध बकाया कर वसूली हेतु निलाम-पत्र वाद सं०-601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608/92-93 द्वारा दायर कर दिया गया है, जो परिशिष्ट "ख" पर अंकित है।

(3) जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद ने इस कंडिका के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया है कि इस कडिका में कुल 7 वाहन संन्निहित है, जिनसे बकाया कर वसूल करने के लिए निलाम पत्र वाद दायर कर दिया गया है जो बी०आर०डब्लू-2816 अवधि 1 अप्रील, 1979 से 30 जून, 1982 तक का बकाया राशि 11,207,75 की वसूली हेतु नीलाम-पत्र वाद संख्या-193/91-92 दायर किया गया। बी०आर०डब्लू-

2817, अवधि 1 अक्तूबर, 1978 से 30 सितम्बर, 1980 तक बकाया राशि की वसूली नीलाम-पत्र वाद संख्या-104/91-92 दायर किया गया है।

बी०एच०आर०-6525, अवधि 1 जुलाई, 1975 से 31 मार्च, 1982 तक बकाया राशि 15,482.27 वसूली हेतु नीलाम-पत्र वाद संख्या-105/91-92 दायर किया गया है।

बी०आर०डब्लू०-7394, अवधि 1 अक्तूबर, 1973 से 31 मार्च, 1980 का बकाया राशि 13,970.74 की वसूली हेतु नीलाम-पत्र वाद संख्या-106/91-92 दायर किया है।

अत: अनुरोध है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची, धनबाद द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

परिशिष्ट "क" जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची

1. बी०एच०भी०-6615
2. बी०एच०भी०-6654
3. बी०एच०भी०-5255
4. बी०एच०एन०-6605
5. बी०आर०भी०-3011
6. बी०आर०भी०-2591
7. बी०आर०भी०-6931
8. बी०आर०भी०-6085
9. बी०आर०भी०-8597
10. बी०आर०भी-8872
11. बी०एच०भी०-8500
12. बी०एच०भी०-5686
13. बी०एच०भी०-5369
14. बी०एच०एन०-5709
15. बी०एच०भी०-8085
16. बी०एच०भी०-551
17. बी०एच०भी०-8115

इन सभी वाहनों के मालिकों से बकाया कर की वसूली की जा चुकी है। शेष वाहनों के विरुद्ध बकाया कर हेतु निलाम-पत्र वाद दायर किया जा चुका है जो परिशिष्ट "ख" पर अंकित है।

परिशिष्ट "ख"

जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची

क्रमांक	वाहन संख्या	निलाम-पत्र वाद संख्या
1.	बी०आर०एन०-4222	601/92-93
2.	बी०आर०एम०-9304	602/92-93
3.	बी०आर०एम०-3425	603/92-93
4.	बी०एच०एन०-5899	604/92-93
5.	बी०एच०एन०-6957	605/92-93
6.	बी०आर०भी०-6356	606/92-93
7.	बी०एच०एन०-5390	607/92-93
8.	बी०एच०एन०-5738	60/92-93

उपरोक्त वाहनों पर निलाम-पत्र वाद दायर किया जा चुका है अतः इस कंडिका को समाप्त किया जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर अपूर्ण है जिसके आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :—

1. सरकार के कराधान अधिनियमों के पालन न करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर समिति को सूचित किया जाय।

2. 19,085 रुपये अनियमित छूट क्यों दी गई तथा इसकी वसूली की अद्यतन स्थिति क्या है, इसके लिए कौन-कौन से पदाधिकारी दोषी हैं, उन पर समुचित कार्रवाई कर छः माह के अन्दर समिति को सूचित किया जाय।

3. भविष्य में सरकार के कराधीन अधिनियमों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

———

कमांक-20—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका-4.3

बढ़े हुए लदान-भार को नहीं लागू करने के कारण करों की कम वसूली:—बिहार और उड़ीसा मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1930 के अंतर्गत मालवाहक यानों पर लगाय जाने वाले कर का परिणाम यानों के पंजीकृत लदान-भार पर आधारित है। अगस्त, 1959 में जारी अधिसूचनानुसार राज्य सरकार ने निर्दिष्ट किया था कि 1952 के सभी यानों और उससे पहले वाले मॉडलों पर तथा 1952 के बाद वाले सभी मॉडलों पर विनिर्माताओं द्वारा प्रमाणित सकल यान-भार का क्रमश: 112.5 प्रतिशत तथा 125 प्रतिशत होना चाहिए।

जिला परिवहन कार्यालय, पटना, धनबाद, डेहरी, राँची तथा बोकारो की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया (जुलाई, 1981 से अक्तूबर, 1982 के बीच) कि अगस्त, 1959 की अधिसूचना में निर्धारित दरों के अनुसार 19 गाड़ियों के लदान-भार नहीं बढ़ाये गये। फलत: अगस्त, 1975 में जारी किय गये अनुवर्तीय प्रशासकाय अनुदेशों के बावजूद अक्तूबर, 1975 से जून, 1982 के बीच की विभिन्न अवधि के लिए 65,265 रुपये के कर की कम वसूली की गई।

लेखा परीक्षा के दौरान इस गलती का उल्लेख करने पर जिला परिवहन कार्यालय धनबाद, राँची और बोकारो ने कहा (जुलाई, 1981 और मई, 1982) कि पंजीकृत लदान-भार को सशोधित करने के लिए कारंवाई की जा रही है। पटना के संबंध में कहा गया (फरवरी, 1982) कि इस मामले की जाँच की जा रही है। डेहरी के संबध में (अक्तूबर, 1982) कहा गया है कि भिन्न-कर की वसूली के लिए नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

विभागीय स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका-4.3 बढ़े हुए लदान-भार को लागू न करने के कारण करों की कम वसूल की वजह से हुई। राजस्व क्षति के संबंध में सूचित करना है कि उक्त कंडिका का संबंध जिला परिवहन कार्यालय, पटना, धनबाद, डेहरी (रोहतास), राँची एवं बोकारो से है। संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त उत्तर स्पष्टीकरण के आधार पर विभागीय मन्तव्य निम्न प्रकार है :—

(1) जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र पत्र संख्या-23299, दिनांक 16 सितम्बर, 1992

द्वारा भेजने हेतु लिखा गया है। बैठक में बतलाया गया कि इस बिन्दु पर कार्रवाई की गयी है।

(2) जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद ने इस कंडिका के अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि इस कंडिका में कुल 8 आठ गाड़ियाँ है।

जिसमें से छः गाड़ियों से राशि बी० एच० जी० 688 बकाये की राशि की वसूली बी० एवं नं०-4, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 से हो चुकी है। जिसकी प्रविष्टि कर पंजी में की गयी है। (2) बी० एच० जी० 583 इस गाड़ी का निबंधन 7 सितम्बर, 1981 को बैठान क्षमता चालक सहित 6 के आधार पर 1 जुलाई, 1981 से 31 जुलाई, 1982 तक रु० 217.00 बी० एस० 33 एस, दिनांक 14 अगस्त, 1981 एवं 14 एस०, दिनांक 5 सितम्बर, 1981 से लेकर निबन्धित किया गया था। इस प्रकार 13 महीनों के लिए 217.00 बैठान क्षमता के अनुसार होता है जिसकी वसूली निबंधन के समय की गयी है। (3) बी० एच० जी-5634 1981 से 31 सितम्बर, 1982 तक 370.00 यह निकासी बी० एस० 48 पी०, दिनांक 21 सितम्बर, 1982 से हो चुकी है जिसकी प्रविष्ट कर पंजी में अंकित है। (4) बी० एच० जी० 8882 से 330.00 बी० एस नं० 14 ए दिनांक 23 सितम्बर, 1982 से हो चुकी है। जिसकी प्रविष्टि कर पंजी में अंकित है। (5) ओ० आर० आर० 1051 से 109.03 की वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद सं० 122/91-92 दायर किया गया है। (6) बी० एच० जी० 7772 से 330.00 की वसूली बी० एस० नं० ए 21, दिनांक 23 सितम्बर, 1982 से हो चुकी है जिसकी प्रविष्ठि पंजी में अंकित है। (7) बी० एच० जी० 1287 से 47.70 की वसूली बी० एस० न० 18, दिनांक 19 नवम्बर, 1982 से हो चुकी है जिसकी प्रविष्टि कर पंजी में अंकित है। (8) 6346 से बकाये की राशि 89.16 पैसा की वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद संख्या 122/91-92 दायर किया गया है। शेष दो गाड़ी सं०-ओ० आर० आर० 1051 एवं गाड़ी सं०-एम० आर० एम० 6346 से वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद सं०-122/1991-92 दायर किया गया।

(3) जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास ने इस कंडिका के अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदन किया है कि इस कंडिका में तीन वाहन सन्निहित हैं जिसमें से एक वाहन सं०-बी० आर० जेड-1860 ट्रैक्टर, ट्रेलर है न कि ट्रक है। अतः इस पर लादान-भार बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है। अंकेक्षण आपत्ति में इसे ट्रक मानकर आपत्ति उठाई गई है। शेष ट्रक से आपत्ति ग्रस्त राशि की वसूली की जा चुकी है।

(4) जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची ने इस कंडिका के अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदन किया है कि इस कंडिका में कुल 8 गाड़ियों का वर्णन है। इन गाड़ियों का पुनरीक्षित लदान वजन का निर्धारण कर दिया गया है आपत्तिगत कंडिका के परिशिष्ट (II) में वर्णित 8 गाड़ियों का निबंधित लदान वजन का पुनरीक्षण आपत्ति के आलोक में कर दिया गया है। इन गाड़ियों का निबंधन एवं पुनरीक्षण लदान वजन का विवरण निम्न प्रकार है :—

ट्रक संख्या	निबंधित वजन	पुनरीक्षित लदान वजन
बी० एच० एन०-6680	10769 किलोग्राम	13,750 किलोग्राम
बी० ए० एन०-6757	वही	वही
बी० एच० एन०-6758	वही	वही
बी० एच० एन०-6760	वही	वही
बी० एच० भी०-8071	वही	वही
बी० एच० भी०-8945	वही	वही
बी० आर० जेड०-449	वही	वही
बी० आर० एन०-7641	वही	वही

एवं बकाये कर की वसूली हेतु पत्र सं०-13299, दिनांक 16 सितम्बर, 1992 के द्वारा निलाम-पत्र वाद दायर करने का आवश्यक निदेश दे दिया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो ने इस कंडिका के अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि बी० एच० ओ०-2235 अंकेक्षण प्रतिवेदन में निबंधित लदान वजन 14,325 के० जी० से घटाकर 10,769 के० जी० करने के फलस्वरूप 5,031 रुपये दिखलाया गया है। इस संबंध में यह कहना है कि यह गाड़ी मिलिट्री मबो ट्रक है जिसका निर्धारित लदान वजन 10,769 के० जी० ही था। गलती से 10,769 के० जी० के बकाया 14,375 के० जी० अंकित की गई थी। अतएव 10,769 के० जी० ही निबंधित होना चाहिए था न कि इसे घटाया गया है। अतः ह्रास का कोई प्रश्न नहीं उठता है इसे आपत्ति से मुक्त किया जाय।

(2) बी० एच० ओ०-3313 ट्रक-अंकेक्षण प्रतिवेदन में 14,375 के० जी० से घटाकर 10,769 के० जी० करने के फलस्वरूप 5,750 रुपये का ह्रास दिखाया गया

है। निबंधन पुस्त में 10,769 के० जी० है न कि 14,375 के० जी० इसका डब्लू० बी० 165 है जिसका टायर साइज 825×20 है। अतः यह प्राप्ति 14,375 के० जी० से घटाकर 10,769 के० जी० किया गया है, निराधार है। अतः इसे आपत्ति से मुक्त की जाय।

(2) बी० एच० ओ०-218-प्रकेक्षण प्रतिवेदन में उक्त गाड़ी के विरुद्ध 11,250 के० जी० के आधार पर 554.15 रु० प्रतिमाही कर देय होता है जबकि निबंधन पुस्त में 10,769 के० जी० ही अंकित है के आधार पर जिसे वसूली की जा रही है। अतः यह आपत्ति 11,250 के० जी० निबंधित लदान वजन होना चाहिए था के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के पारित आदेश के आलोक में जबतक लदान वजन का पुनरीक्षण नहीं हो जाता है तबतक पुराने लदान वजन पर ही कर वसूला जा रहा है। अतः आपत्ति से मुक्त की जाय।

(3) बी० एच० ओ०-8037—शक्तिमान मिनिट्री डिपोजल ट्रक के विरुद्ध रुपये का ह्रास दिखाया गया है। निबंधित लदान वजन का पुनरीक्षण नहीं होने के फलस्वरूप 662 रुपये का ह्रास हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में जबतक लदान वजन का पुनरीक्षण नहीं हो जाता है तबतक पुराने लदान वजन के आधार पर ही कर लेने का निदेश है। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में इस कंडिका का अनुपालन नियमानुसार किया गया है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा दिये गये अनुपालन प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर अपूर्ण है जिसके आलोक में समिति अनुशंसा करता है कि—

(1) जिन मामलों में लदान भार क्षमता बढ़ाकर कर वसूली नहीं की गई है, उनकी समीक्षा कर बढ़े हुए दर से कर की वसूली की जाय।

(2) संशोधित कराधान अधिनियम को लागू नहीं करने के लिए कौन पदाधिकारी जिम्मेवार थे? उनपर जिम्मेवारी सुनिश्चित कर की गई कार्रवाई से छः माह के अन्दर समिति को सूचित किया जाय।

(3) कर के अन्तर की राशि की वसूली का वर्तमान स्थिति से समिति को अवगत कराया जाय।

(4) भविष्य में सरकार के कराधान अधिनियम के प्रावधानों का विभाग द्वारा कड़ाई से पालन किया जाय।

क्रमांक—21

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) का कंडिका-4.4

अस्थायी पंजीकरण की कालावधि समाप्त होने की तिथि से कर की वसूली न करना—यथासंशोधित बिहार और उड़ीसा मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1930 के तहत अपने अधिकार में अथवा अपने नियंत्रण में मोटरगाड़ी रखने वाले प्रत्येक पंजीकृत मालिक अथवा व्यक्ति को नियत दर पर वार्षिक या तिमाही-कर का भुगतान करना है। मोटरयान अधिनियम, 1939 में परिभाषित पद "मोटरयान" में चेसिस भी सम्मिलित है। इस अधिनियम के अन्तर्गत बॉडी बनाने के लिए अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए अस्थायी पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है। विहित दर पर कर-भुगतान का दायित्व अधिकतम अनुग्रह अवधि के समाप्त होने पर ही लागू होता है।

चार परिवहन कार्यालयों जमशेदपुर, हजारीबाग, राँची और चाईबासा की लेखा-परीक्षा के दौरान पाया गया (मई, 1981 से अगस्त, 1982 बीच) कि पंजीकरण के 20 मामलों में अक्टूबर, 1979 से जनवरी, 1982 के बीच विभिन्न अवधि के लिए अस्थायी पंजीकरण की समाप्ति के बाद अंतिम पंजीकरण की तिथि तक वसूल नहीं किया गया था। इन मामलों के संबंध में विभिन्न अवधि में 39,022 रु० के कर की वसूली नहीं की गई।

विभागीय स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (रा० प्रा०) का कंडिका-4.4 अस्थायी पंजीकरण की कालावधि समाप्त होने की तिथि से कर की वसूली न करने के कारण हुई राजस्व क्षति के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त कंडिका का सम्बन्ध जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर, हजारीबाग, राँची एवं चाईबासा से

है। संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों से उत्तर एवं स्पष्टीकरण के आधार पर विभागीय मन्तव्य निम्न प्रकार है :—

(1) जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर ने उक्त कंडिका के अनुपालन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि इस कंडिका में 25 वाहन संलग्न हैं। इनमें से 6 वाहनों से बकाया कर की वसूली हो गई है। इनमें से बी एच एन 8571, 8604, 8675, 8700, 8.00, बी पी टी 8150 से बकाया कर का वसूली हो चुकी है शेष 19 गाड़ियों के विरूद्ध कर वसूल करने हेतु निलाम पत्र मुकदमा दायर करने का कार्रवाई करना जारी है। अतः इस आपत्ति को उठाने की अनुशंसा की जा सकती है। शेष सभी 19 वाहनों पर बकाया कर वसूल करने हेतु निलाम पत्र वाद दायर कर दिया गया है।

(2) जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग ने उक्त कंडिका के अनुपालन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि इस कंडिका में कुल 7 वाहनों से बकाया कर को वसूली हेतु निलाम पत्र वाद दायर बी० एच० एम० —845-2114-35 निलाम पत्र वाद सं०-294/92-93, दिनांक 30 जुलाई, 1991 के द्वारा दायर किया गया। बी० एच० एम०—958-906-15 भुगतान बैंक स्क्रोल सं०-46, दिनांक 22 दिसम्बर, 1987 द्वारा किया गया। बी० एच० एम० —1466, 1812-30 निलाम पत्र वाद सं०-295/92-93, दिनांक 30 जुलाई, 1992 द्वारा दायर किया गया।

बी० एच० एम० 1459-2114-35—निलाम पत्र वाद सं०-296/92-93, दिनांक 30 जुलाई, 1992 द्वारा दायर किया गया।

बी० एच० एम० 1427-604-10—निलाम पत्र वाद सं०-297/92-93, दिनांक 30 जुलाई, 1992 द्वारा दायर किया गया।

बी० एच० एम०-1419-2416-40-निलाम पत्र वाद सं०-298/92-93, दिनांक 30 जुलाई, 1992 द्वारा दायर किया गया।

बी० एच० एम०-1828-203-50 निलाम पत्र वाद सं०-299/92-93, दिनांक 30 जुलाई, 1992 द्वारा दायर किया गया है।

(3) जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची ने उक्त कंडिका के अनुपालन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आपत्तिगत विषय जिला परिवहन कार्यालय, रांची के अंकेक्षण 25/82-83 में सन्निहित कोई गाड़ी अनुपालन हेतु लंबित नहीं है।

(4) जिला परिवहन पदाधिकारी, चाईबासा ने उक्त कंडिका के अनुपालन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि इस कंडिका में कुल 4 गाड़ियां सन्निहित हैं जिसमें से तीन वाहनों बी० आर० एस०-4408-रु०-302.05-सम्पूर्ण वसूली चालान नं०-19, दिनांक 5 अक्टूबर, 1985, बी० आर० एस०-4452-रु०-523.90 सम्पूर्ण वसूली चालान नं०-बा० टी०, दिनांक 30 जनवरी, 1985, बी० आर० एस०-4489-रु० 3456.90 नीलाम पत्र सं०-169/92-93, बी० आर० एस०-4306-रु०-701.25 सम्पूर्ण वसूली चालान नं०-39, दिनांक 27 जुलाई, 1992 से बकाया कर की वसूली कर ली गई है। एवं वाहन सं०-बी० आर० एस०-4489 से 3456.90 रु० बकाया कर वसूली हेतु निलाम पत्र सं०-169/92-93 वाद दायर कर लिया गया है।

अत: अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

उक्त कंडिका में जिला परिवहन रांची से संबंधित पांच मोटरयान है जिसका पूर्ण विवरण प्रारूप कंडिका के साथ विभाग को भेजा गया है तथा परिवहन कार्यालय रांची के महालेखाकार द्वारा निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 44/1981-82 की कंडिका 3 में भी इसका चर्चा है।

अत: विभाग रांची से संबंधित मोटर यानों के संबंध में की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अंदर अवगत करावें।

क्रमांक—22 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) का कंडिका-4.5

बकाया राशि की वसूली किये बिना चालू कर को स्वीकार करना। बिहार और उड़ीसा मोटरयान कराधान नियमावली, 1930 के अनुसार उपयोग के लिए रखे यान पर कर का भुगतान यदि कोई नियत तिथि या उससे पहले नहीं करता है तो उस व्यक्ति को अतिरिक्त अर्थदण्ड का भुगतान जो भुगतान की माह तक गणित कर की राशि का 50 प्रतिशत के बराबर होगा, करना होगा। कराधान अधिनियम, 1930 में यथासंशोधित 1963 में व्यवस्था की गई है कि कराधान पदाधिकारी मोटरयान के चालू तिमाही के कर को लेना अस्वीकार कर सकता है जबतक (बकाया) पिछला कर जो उस यान के लिए

रकाया है, पूरी तरह अदा नहीं कर दिया जाता अथवा कराधान अधिकारी से उसका संतोषजनक निबटारा या समायोजन नहीं हो जाता।

तीन परिवहन कार्यालयों जमशेदपुर, हजारीबाग और चाईबासा के लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (जून से अगस्त, 1982) कि 24 वाहनों के संबंध में पहली जनवरी, 1980 के बाद की विभिन्न अवधि के लिए चालू कर वसूल किए गए तथा बकाया करों की वसूली किए बिना मालिकों को टैक्स टोकन निर्गत किए गये। कोई ऐसा अभिलेख नहीं था जिससे संकेत मिल सके कि जिस अवधि के लिए कर का भुगतान नहीं किया गया था, उस अवधि में गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल रही थीं। अगस्त, 1979 से जून, 1982 की अवधि के लिए, 22,789 रुपये का बकाया कर था जिसे न तो लगाया गया और न वसूला गया। इसके अतिरिक्त गाड़ियों का मालिक भुगतान की माह तक आकलित राशि के 50 प्रतिशत के बराबर रकम भी अर्थदण्ड के रूप में देने का भागीदार हुआ।

(2) सात जिला परिवहन कार्यालयों, हजारीबाग, धनबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, जमशेदपुर और छपरा में लेखा परीक्षा में पाया गया कि विहित अवधि की समाप्ति के बाद 7 वाहनों के लिए कर दिया गया था किन्तु विभाग ने 60 मामलों में कोई दण्ड नहीं लगाया। शेष 16 मामलों में बिहार मोटरयान कराधान नियमावली, 1930 के अधीन विहित दर से कम दण्ड लगाया गया था। उपर्युक्त मामलों में दण्ड नहीं लगाने।कम लगाने की राशि 15,833 रुपये हुई। काराधान अधिकारी ने लेखापरीक्षा के दौरान कहा कि जुर्माने की राशि वसूल की जायेगी।

विभागीय स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.5 बकाया राशि की वसूली लिए बिना चालू कर को स्वीकार करने के कारण हुई राजस्व क्षति के संबंध में सूचित करना है कि उक्त कंडिका का संबंध जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर, हजारीबाग एवं चाईबासा से है। संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त उत्तर एवं स्पष्टीकरण के आधार पर विभागीय मन्तव्य निम्न प्रकार है:—

(1) जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, छपरा, रांची, गिरिडीह एवं बोकारो से अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है पत्र संख्या-13299, दिनांक 16 सितम्बर, 1992 द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र भेजने हेतु निर्देश दिया जा चुका है।

(2) जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर ने उक्त कडिका के अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि इस कडिका में कुल 7 गाड़ियों से कर को वसूली कर ली गई है शेष 14 वाहनों के विरूद्ध निलाम पत्र वाद दायर किया जा चुका है।

(3) जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग ने उक्त कंडिका के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया है कि इसमें कुल 4 वाहन संलग्न हैं। इनमे बकाया कर की राशि वसूल करने के लिए निलाम पत्र वाद दायर किया गया है।

(4) जिला परिवहन पदाधिकारी, चाईबासा ने उक्त कंडिका के अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि इस कडिका में कुल दो वाहन सन्निहित हैं। इसमें से एक वाहन से बकाया कर की वसूली कर ली गई है। एक वाहन से कर वसूली के लिये निलाम पत्र वाद दायर किया है।

(5) जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची ने उक्त कंडिका के अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि इस कंडिका में कुल दो वाहन संलग्न हैं। दोनों वाहनों से बकाया कर की वसूली करने के लिये निलाम पत्र वाद दायर किया जा चुका है।

(6) जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद ने इस कंडिका के अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि इस कंडिका में दो वाहन सन्निहित हैं। दोनों वाहनो से कर की वसूली हो चुकी है।

1. बी० एच० जो० 231 ट्रक से, अवधि 1 जनवरी, 1982 से 31 मार्च 1982 तक 532.15 की वसूली बी० एस० 68 दिनांक 15 फरवरी, 1982 से हो चुकी है जिसकी प्रविष्टि कर पंजी में की गयी अंकित है।

2. बी० एच० जो०-2735 के संबंध में निबंधन पंजियों में अंकित प्रविष्टियों से स्पष्ट होता है कि यह गाड़ी 1983 मोडल की है जिसका निबंधन 15 मार्च, 1984 को किया गया है और मार्ग कर 1 मार्च, 1984 से नहीं ली गयी है। इस प्रकार अंकेक्षण में दर्शाया गया बकाया की वसूली का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुरोध है कि जिला परिवहन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण के आलोक में इस कडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एव सिफारिश।

विभागीय उत्तर अपूर्ण है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि :

(1) बकाए कर की वसूली न करने के लिए कौन-कौन से पदाधिकारी जिम्मेवार हैं एवं उनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा बकाए कर कर की वसूली

की अद्यतन स्थिति क्या है, से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय ।

(2) अंकेक्षण आपत्ति में वर्णित सात जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वांछित प्रतिवेदन नहीं भेजने का क्या औचित्य है ? एवं इसके लिए उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ? इससे समिति को अवगत कराया जाय ।

(3) भविष्य में सरकारी कानून अधिनियमों का कड़ाई से पालन किया जाय एवं इस तरह की लापरवाही एवं अनियमितता नहीं बरती जाय ।

क्रमांक-23—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कडिका-4.6

बढ़ी हुई दरों पर परमिट फीस वसूल नहीं करना—मोटरयान अधिनियम, 1939 और बिहार मोटरयान नियमावली, 1940 के तहत किसी भी परिवहन यान के स्वामी को प्रत्येक परिवहन यान के लिए परिवहन प्राधिकारी से परमिट लेना है। 15 जुलाई, 1981 की अधिसूचना के अनुसार किसी परमिट को मंजूर करने या नवीकरण पर दो से अधिक क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों के लिए फीस की दर 300 रुपये से 600 रुपये बढ़ा दी गई ।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, राँची की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मोटर कैबों को छोड़कर 86 ठेका गाड़ियों को अक्तूबर, 1981 से जून, 1982 के दौरान दो से अधिक क्षेत्रों के लिए परमिट दी गई । इन वाहनों में 400 रुपये प्रत्येक के लिए परमिट फीस ली गई । उन तीन मामलों को छोड़कर जिनमें 600 रुपये की जगह क्रमशः 125 रुपये, 300 रुपये और 450 रुपये वसूल किये गये थे ।

अतः अक्तूबर, 1981 से जून, 1982 के दौरान कुल 17,525 रुपये परमिट फीस की कम वसूली हुई ।

विभागीय स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (रा० प्रा०) की कडिका-4.6 बढ़ी हुई दरों पर परमिट फीस वसूली नहीं करने के कारण हुई राजस्व की क्षति के संबंध में कहना है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, राँची का विभागीय पत्रांक-13299, दिनांक 16 सितम्बर, 1992 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन

भेजने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। परन्तु अभी तक उस कार्यालय से कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हो सका है। इस संबंध में पूर्व में विभागीय बैठक में अनुपालन करने हेतु काफी दबाव दिया जा चुका है एवं 15 सितम्बर, 1992 तक प्रत्येक कंडिका से संबंधित वाहनों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से निलाम पत्र वाद दर्ज कर विस्तृत सूची प्रेषित करने का निदेश दिया गया है, अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होते ही भेज दिया जायेगा।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर अपूर्ण है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि :

(1) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, राँची के पदाधिकारियों द्वारा अभी तक अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजने का क्या औचित्य है? क्या उनके विरुद्ध इसके लिए कानूनी कार्रवाई करने का सरकारी प्रावधान है? यदि है, तो विभाग द्वारा अभी तक क्यों नहीं उनको दोषी करार कर उनपर कार्रवाई की गई है? इससे समिति को सूचित किया जाय।

(2) बकाए कर की वसूली की अद्यतन स्थिति से छः माह के अन्दर समिति को अवगत कराया जाय।

क्रमांक—24 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका-4.7

पथ कर को गलत ढंग से लागू करना—बिहार और उड़ीसा मोटरयान कराधान अधिनियम, 1930 के अधीन उपयोग के लिए रखे जाने वाले प्रत्येक मोटरयान के लिए कर देय है, उस दर से जो अधिनियम की दूसरी तालिका में निश्चित की गई है।

जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर, चाईबासा, गिरीडीह, बोकारो और रांची के लेखाओं की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 36 यानों पर कर दूसरी तालिका में विहित दर से कम लगाया गया जिसके फलस्वरूप जुलाई, 1976 और जून, 1982 के बीच विभिन्न अवधियों में 13,666 रुपए कर की कम उगाही हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका-4.7 पथ कर को गलत ढंग से लागू करने के कारण हुई राजस्व क्षति

के संबंध में कहना है कि उक्त कंडिका का संबंध जिला परिवहन कार्यालयों, जमशेदपुर, चाईबासा, गिरीडीह, बोकारो एवं रांची से है। सबंधित जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त उत्तर एवं स्पष्टीकरण के आधार पर विभागीय मन्तव्य निम्न प्रकार है :—

(1) जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर एवं चाईबासा से उक्त कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र भेजने हेतु पत्रांक-13299, दिनांक 16 सितम्बर 1992 लिखा गया है। कार्रवाई की गई है।

(2) जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह ने उक्त कंडिका के अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि इस कंडिका में कुल 33 वाहन शामिल हैं। इनसे बकाया कर की राशि वसूलने के लिये निलाम पत्र वाद दायर किया गया है।

अत: अनुरोध है कि जिला परिवहन पदाधिकारी से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एव सिफारिश

विभागीय उत्तर अपूर्ण है। अत: समिति अनुशंसा करता है कि :—

(1) अंकेक्षण आपत्ति से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर विभाग समिति को सूचित करें।

(2) बकाए कर की वसूली छ: माह के अन्दर कर समिति को सूचित किया जाय।

पटना :
दिनांक 20 जुलाई, 1993

जगदीश शर्मा,
सभापति,
लोक सेवा समिति।

बि०स०शा०मु०रां०—(एल०ए०)7/115—1,000—4-8-1993—बी०एन०झा।

निर्देशानुसार वेबसाइट पर अपलोड किया जाय

[signature]
13/09/17